राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6621/2023

1. गणेश नारायण नायक पुत्र नारायण वैकुंठ नायक, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी- 3 अश्वमेघ भाग V, सैटेलाइट, अहमदाबाद, गुजरात
2. नितिन कुमार दलसुखराय पारेख पुत्र दलसुखराय धारशीभाई पारेख, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी- 73, असोपालव बंगला, थलतेज, अहमदाबाद, गुजरात

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजसमंद, कार्यालय सिविल सर्जन राजसमंद, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

<u>से सम्बद्ध</u>

एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6626/2023

1. मेसर्स बायोकेम फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (अब मेसर्स ज़ाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड के साथ समामेलित), 301, पीएन कोठारी इंडस्ट्रियल एस्टेट, एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई जरिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सचिन संगारे, आयु 47 वर्ष, ई-10, ऋषिकेश सीएचएसएल, एवरशाइन नगर, मलाड पश्चिम, मुंबई
2. मयंक जसवंतलाल शाह पुत्र जसवंतलाल शाह, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी- सुधर्मा 801, प्लॉट-1, सीटीएस 310ए, द हॉटकेश सीएचएसएल, जेवीपीडी स्कीम, जुहू कॉर्नर, 5वीं रोड, विले पार्ले नॉर्थ, मुंबई-400056, मेसर्स बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक (अब मेसर्स ज़ाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड के साथ समामेलित), 301, पीएन कोठारी इंडस्ट्रियल एस्टेट, एलबीएस मार्ग भांडुप (पश्चिम), मुंबई।

3. श्रेयांश जसवंतलाल शाह पुत्र जसवंतलाल शाह, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी- 318, अवंती अपार्टमेंट, फ्लैंक रोड, सोइन, मुंबई-400022, मेसर्स बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक (अब मेसर्स ज़ाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड के साथ समामेलित), 301, पीएन कोठारी औद्योगिक एस्टेट, एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई।

4. श्रुति मयंक शाह पत्नी मयंक शाह, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी- सुधर्मा 801, प्लॉट-1, सीटीएस 310ए, द हॉटकेश सीएचएसएल, जेवीपीडी स्कीम, जुहू कॉर्नर, 5वीं रोड, विले पार्ले नॉर्थ, मुंबई-400056, मेसर्स बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की निदेशक (अब मेसर्स ज़ाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड के साथ समामेलित), 301, पीएन कोठारी इंडस्ट्रियल एस्टेट, एलबीएस मार्ग भांडुप (पश्चिम), मुंबई।

5. राजिंदर कन्हियालाल सिंघवी पुत्र कन्हियालाल सिंघवी, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी- सुनीता निवास, 78, स्वामी विवेकानन्द रोड, सांता क्रूज़ (पश्चिम) मुंबई-400054, मेसर्स बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब मेसर्स ज़ायडुइस हेल्थकेयर लिमिटेड के साथ समामेलित), 301, पीएन कोठारी इंडस्ट्रियल एस्टेट, एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई के निदेशक।

6. सुरेश गौतमचंद कोठारी पुत्र गौतमचंद कोठारी, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी- 301, श्री मुक्ति धाम सीएचएस लिमिटेड, स्टेशन रोड, सारस्वत बैंक के सामने, कलवा (उत्तर), ठाणे, मुंबई-400605 मेसर्स बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक (अब मेसर्स ज़ाइडुइस हेल्थकेयर लिमिटेड के साथ समामेलित), 301, पीएन कोठारी औद्योगिक एस्टेट, एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई।

7. उमेश लाड, मेसर्स बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सक्षम व्यक्ति, (अब मेसर्स ज़ाइडुइस हेल्थकेयर लिमिटेड के साथ समामेलित), 301, पीएन कोठारी औद्योगिक एस्टेट, एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई।

8. राज कुमार देवराम पाटिल पुत्र देवराम पाटिल, आयु लगभग 52 वर्ष, मेसर्स बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब मेसर्स ज़ाइडुइस हेल्थकेयर लिमिटेड के साथ समामेलित), 301, पीएन कोठारी औद्योगिक एस्टेट, एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई के सक्षम व्यक्ति।

9. मेसर्स एमकेएस फार्मा लिमिटेड, प्लॉट नंबर 114, हुडा इंडस्ट्रियल एस्टेट, सेक्टर 59, फरीदाबाद, हरियाणा अब 1135 बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर, ट्रांसपोर्ट नगर के सामने, सेक्टर 58, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री संजय गुप्ता, निदेशक के माध्यम से।

10. संजय गुप्ता पुत्र श्री केएल गुप्ता, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी- डी-947, चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, मेसर्स एमकेएस फार्मा लिमिटेड के निदेशक 1135 बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर, ट्रांसपोर्ट नगर के सामने, सेक्टर 58, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद।

11. मनीष गुप्ता पुत्र श्री केएल गुप्ता, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी- डी-947, चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, मेसर्स एमकेएस फार्मा लिमिटेड के निदेशक 1135 बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर, ट्रांसपोर्ट नगर के सामने, सेक्टर 58, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद।

12. किशोरी लाल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री गुलाब चंद गुप्ता, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी- डी-947, चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, मेसर्स एमकेएस फार्मा लिमिटेड के निदेशक 1135 बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर, ट्रांसपोर्ट नगर के सामने, सेक्टर 58, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद।

13. अरिदमन कुमार जैन पुत्र श्री शिखर, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी- रेलवे रोड, बड़ौत, बागपत, यूपी, मेसर्स एमकेएस फार्मा लिमिटेड के निदेशक 1135 बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर, ट्रांसपोर्ट नगर के सामने, सेक्टर 58, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद।

14. सपना गुप्ता पत्नी श्री मनीष गुप्ता, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी-डी-947, चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, सक्षम

व्यक्ति मेसर्स एमकेएस फार्मा लिमिटेड 1135 बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर, ट्रांसपोर्ट नगर के सामने, सेक्टर 58, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद ।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिए पीपी
2. औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजसमंद, कार्यालय सिविल सर्जन राजसमंद, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

एसबी आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 108/2024

1. मेसर्स स्काईमैप फार्मास्युटिकल्स, बी-3, देवभूमि औद्योगिक एस्टेट, पोहाना, इकबालपुर रोड, रुड़की जिला हरिद्वार 247667 (उत्तराखंड) जरिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि अरबिंद कुमार शर्मा, आयु 43 वर्ष, मकान संख्या 573, पश्चिम अंबर तालाब, रुड़की, हरिद्वार
2. संजय गुप्ता पुत्र श्री केएल गुप्ता, आयु लगभग 49 वर्ष, डी-987 चावला कॉलोनी बल्लभगढ़जिला फरीदाबाद हरियाणा मेसर्स स्काईमैप फार्मास्युटिकल्स के निदेशक, बी-3, देवभूमि औद्योगिक एस्टेट, पोहाना, इकबालपुर रोड, रुड़की जिला हरिद्वार 247667 (उत्तराखंड)
3. किशोरी लाल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री गुलाब चंद गुप्ता, आयु लगभग 71 वर्ष, डी-987 चावला कॉलोनी बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद हरियाणा मेसर्स स्काईमैप फार्मास्युटिकल्स के निदेशक, बी-3, देव भूमि औद्योगिक एस्टेट, पोहाना, इकबालपुर रोड, रुड़की जिला हरिद्वार 247667 (उत्तराखंड)
4. अरबिंद कुमार शर्मा पुत्र हरिनाथ शर्मा, उम्र लगभग 43 वर्ष, पुत्र श्री हरिहर नाथ शर्मा मकान संख्या 573 पश्चिम अंबर तालाब, रुड़की हरिद्वार, मेसर्स स्काईमैप फार्मास्यूटिकल्स के विनिर्माण रसायनज्ञ,

बी-3, देव भूमि औद्योगिक एस्टेट, पोहाना, इकबालपुर रोड, रुड़की जिला हरिद्वार 247667 (उत्तराखंड)

5. नरेश कुमार बहादुरिया पुत्र श्री चंद्र मोहन सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी मकान नंबर 19 चाओ मंडी, रुड़की हरिद्वार, मेसर्स स्काईमैप फार्मास्युटिकल्स के विनिर्माण रसायनज्ञ, बी-3, देव भूमि औद्योगिक एस्टेट, पोहाना, इकबालपुर रोड, रुड़की जिला हरिद्वार 247667 (उत्तराखंड)

6. श्री संजीव कुमार सैनी पुत्र सुरिंदर कुमार सैनी, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी मकान संख्या 476/3, निशांत चाओ मंडी रुड़की हरिद्वार, विश्लेषणात्मक रसायनज्ञ मेसर्स स्काईमैप फार्मास्युटिकल्स, बी-3, देव भूमि औद्योगिक एस्टेट, पोहाना, इकबालपुर रोड, रुड़की जिला हरिद्वार 247667 (उत्तराखंड)

7. राहुल पुत्र श्री चितरंजन सिंह, आयु लगभग 46 वर्ष, मकान संख्या 767, चाओ मंडी रुड़की हरिद्वार, विश्लेषणात्मक रसायनज्ञ मेसर्स स्काईमैप फार्मास्युटिकल्स, बी-3, देवभूमि औद्योगिक एस्टेट, पोहाना, इकबालपुर रोड, रुड़की जिला हरिद्वार 247667 (उत्तराखंड)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिए पीपी

2. औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजसमंद, सिविल सर्जन कार्यालय राजसमंद, राजस्थान

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री अक्षय जैन श्री विनीत जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता के साथ श्री संजय कुमार जैन
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री एन.एस. चंदावत, उप-जीए

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् फरजंद अली

आदेश

रिपोर्ट योग्य

21/03/2025

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) कीधारा 482 सपठित धारा 483 के अंतर्गत ये आपराधिक विविध याचिकाएं संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई हैं, जिसमें परिवाद संख्या 158/2017 दिनांक 06.02.2017, शीर्षक राजस्थान राज्य बनाम मेसर्स लाइफ लाइन फ्लूइड एंड ड्रग स्टोर, राजसमंद जरिए ड्रग कंट्रोल अधिकारी व अन्य है, और इसके बाद होने वाली सभी कार्यवाहियां, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद, राजस्थान के समक्ष लंबित है, इस आधार पर कि यह अवैध है और विधि की आदेशिका के दुरुपयोग के समान है, को अभिखंडित करने की मांग की गई है।

2. सभी याचिकाओं में आरोपों, कानूनी विवाद्यकों और प्रार्थनाओं की समान प्रकृति को देखते हुए, उन्हें इस समेकित आदेश के माध्यम से एक साथ तय किया जा रहा है।

3. विवाद की उत्पत्ति औषधि नियंत्रण अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा 30.11.2012 को मेसर्स लाइफ लाइन फ्लूइड एंड ड्रग स्टोर, राजसमंद के परिसर में किए गए निरीक्षण से हुई। उक्त निरीक्षण के दौरान, मेसर्स स्काईमैप फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित औषधि "टैब. ग्लिम्प-2" (बैच संख्या BD-11374) का एक नमूना विश्लेषण हेतु

एकत्र किया गया था। राजकीय विश्लेषक, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांकित 15.01.2013 में नमूने को विघटन परीक्षण के अनुरूप न होने के कारण मानक गुणवत्ता का नहीं बताया।

4. विषयगत औषधि की वितरण श्रृंखला का पता मध्यस्थ वितरकों के माध्यम से लगाया गया, जो अंततः मेसर्स बायोकेम फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब मेसर्स ज़ाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड के साथ समामेलित) तक पहुँची, जिसने उत्पाद का विपणन किया, और मेसर्स एमकेएस फार्मा लिमिटेड, जो एक थोक लाइसेंस धारक है। इसका पता लगाने के बावजूद, औषधि नियंत्रण अधिकारी ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (जिसे आगे "1940 अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 25(3) के अंतर्गत नमूने को पुनः विश्लेषण के लिए निर्माता के पास भेजने की वैधानिक आवश्यकता का अनुसरण नहीं किया।

5. अभियोजन पक्ष ने 1940 के अधिनियम की धारा 27(बी)(i) के अंतर्गत दंडनीय धारा 18(ए)(i), 18(ए)(vi) सपठित धारा 16(i)(ए) और 17ए के अंतर्गत, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद के समक्ष दिनांक 09.01.2017 को परिवाद संख्या 158/2017 दायर किया। आदेश दिनांकित 06.02.2017 द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

6. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित सीआरएलएमपी संख्या 6621/2023 मेसर्स बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड-अतिरिक्त निदेशक (गैर-कार्यकारी) व अन्य को सम्मिलित किया है।

सीआरएलएमपी संख्या 6626/2023 मेसर्स बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके निदेशक, सक्षम व्यक्ति, मेसर्स एमकेएस फार्मा लिमिटेड और इसके निदेशक। सीआरएलएमपी संख्या 108/2024 मेसर्स स्काईमैप फार्मास्यूटिकल्स, इसके भागीदार, विनिर्माणकारी रसायनज्ञ और विश्लेषणात्मक रसायनज्ञ।

7. इस न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिलेखों का पूरी बारीकी से परिशीलन किया गया और मामले के तथ्यों, अंतर्वलित विधिक प्रावधानों और प्रोद्धृत निर्णयों पर गहन विचार किया है। हस्तगत मूल विवाद्यक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, परिवाद और उसके बाद की कार्यवाही की वैधता से संबंधित है।

8. परिवाद के व्यापक पुनर्विलोकन और तत्सम्बद्ध परिस्थितियों से एक स्पष्ट प्रक्रियात्मक चूक प्रकट होती है, जो अभियोजन की बुनियाद को ही कमजोर कर देती है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 34 के अंतर्गत निहित प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत केवल उन व्यक्तियों पर दायित्व डालता है जो अभिकथित अपराध के समय कृत्य के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं, जिन्हें सुसंगत अवधि के काफी बाद में अतिरिक्त निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्त किया गया था, केवल उनके पदनाम के आधार पर आपराधिक दायित्व से नहीं लादे जा सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***गनमाला सेल्स (पी) लिमिटेड बनाम अनु मेहता, (2015) 1 एससीसी***

103 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि फॉर्म-32 और बोर्ड के प्रस्तावों जैसे अनधिक्षेपणीय दस्तावेजों पर सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए निर्भर किया जा सकता है। वर्तमान मामला पूरी तरह से इस स्थापित विधिक प्रतिपादना की परिधि में आता है, क्योंकि अभिलेख पर के दस्तावेज स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अभिकथित अपराध के समय याचिकाकर्ताओं का कंपनी के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं था।

9. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***सुनील भारती मित्तल बनाम सीबीआई, (2015) 4 एससीसी 609*** में यह माना कि गैर-कार्यकारी निदेशकों को अपराध में उनकी भूमिका के संबंध में विनिर्दिष्ट अभिकथनों के अभाव में प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ***सुनीता पलिता बनाम पंचमी स्टोन क्वारी, (2022) 10 एससीसी 152*** में भी यही सिद्धांत दोहराया गया था। वर्तमान मामले में, परिवाद में याचिकाकर्ताओं का मात्र कंपनी के निदेशक के रूप में उल्लेख किया गया है, लेकिन अभिकथित अपराध में उनकी संलिप्तता स्थापित नहीं की गई है। उनकी सक्रिय सहभागिता को दर्शाने वाले किसी भी ठोस आरोप या सामग्री का अभाव अभियोजन को कानूनन अस्थिर बनाता है।

10. इसके अतिरिक्त, परिसीमा पहलू की अवज्ञा नहीं की जा सकती। अभिकथित अपराध का पता 15.01.2013 को चला, फिर भी परिवाद 09.01.2017 को ही दर्ज किया गया, जो 1940 के अधिनियम की धारा 27(डी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा

468 में विहित तीन साल की वैधानिक सीमा से परे है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ***केमिनोवा (इंडिया) लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य, (2021) 8 एससीसी 818*** में, कीटनाशक अधिनियम (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के समरूप एक क़ानून) पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि परिसीमा अवधि के बाद अभियोजन वर्जित है। वर्तमान मामला पूरी तरह से इसी कानूनी ढाँचे के अंतर्गत आता है, जिससे याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखना कानूनी रूप से अमान्य है।

11. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा 1940 के अधिनियम की धारा 25(3) के तहत वैधानिक अपेक्षा का पालन करने में विफलता से संबंधित है, जिसके अनुसार विवादित रिपोर्ट की स्थिति में नमूने के एक हिस्से को पुनः विश्लेषण के लिए निर्माता को भेजना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***मेडिकामेन बायोटेक लिमिटेड बनाम रुबीना बोस, (2008) 7 एससीसी 196*** में स्पष्ट रूप से माना था कि इस वैधानिक आदेश का पालन न करना पूरे अभियोजन पक्ष को दूषित करता है। वर्तमान मामले में, प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन न करने के बावजूद, परिवाद दर्ज किया गया और संज्ञान लिया गया, जो अभियोजन पक्ष की ओर से एक गंभीर चूक है।

12. इसके अलावा, 1940 के अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत वैधानिक संरक्षण की अवहेलना की गई है, जो निर्माता के अलावा अन्य व्यक्तियों को दायित्व से मुक्त करता है यदि दवा विधिवत लाइसेंस प्राप्त संस्था से खरीदी गई हो और उसी स्थिति में संग्रहित

की गई हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***किसान बीज भंडार बनाम मुख्य कृषि अधिकारी, 1990 पूरक एससीसी 111*** में कीटनाशक अधिनियम के अंतर्गत एक समविषयक प्रावधान की व्याख्या करते हुए, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए इस संरक्षण को दोहराया। याचिकाकर्ता, मात्र विपणक और वितरक होने के नाते, इस वैधानिक संरक्षण के दायरे में आते हैं। इस प्रकार, उन पर मुकदमा चलाना न केवल अनुचित है, बल्कि कानून की आदेशिका का स्पष्ट दुरुपयोग भी है।

13. इसके अतिरिक्त, अभिलेखों से यह सुस्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेशिका जारी करने से पहले धारा 202 सीआरपीसी के अंतर्गत आज्ञापक जाँच नहीं की, जबकि याचिकाकर्ता न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रहते थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***नेशनल बैंक ऑफ ओमान बनाम बराकरा अब्दुल अज़ीज़, (2013) 2 एससीसी 488, और अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुकर निंबालकर, (2017) 3 एससीसी 528***, में इस बात पर बल दिया है कि ऐसे मामलों में धारा 202 सीआरपीसी के तहत जाँच अनिवार्य है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा इस आज्ञापक अपेक्षा का पालन न करने के कारण समन का आदेश कानूनी रूप से अपोषणीय हो जाता है।

14. इसके अतिरिक्त, सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट स्वयं इंगित करती है कि प्रश्नगत औषधि, विघटन परीक्षण में विफल रही, लेकिन उसका सक्रिय घटक मानक सीमा के भीतर था। 1940 के अधिनियम की धारा 33-पी के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश ऐसे दोषों को मामूली मानते हैं, जिनके लिए धारा 27(बी)(i) के तहत अभियोजन की

आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***लैबोरेट फार्मास्युटिकल्स इंडिया लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य, (2018) 15 एससीसी 93*** में यह माना है कि जहाँ मामूली दोष पाए जाते हैं, वहाँ अभियोजन का शुरू किया जाना अस्वीकार्य है।

15. वर्तमान मामले में, दवा का सक्रिय औषधीय घटक (एपीआई) विहित मानकों के भीतर पाया गया और केवल विघटन दर में विचलन था। विलंबित विघटन दवा को नकली या अनुपयोगी नहीं बनाता; यह मात्र सक्रिय सामग्री के धीमे रिलीज को इंगित करता है, जो अभी भी प्रभावी है। इस तरह की देरी से दवा की चिकित्सीय प्रभावकारिता पूरी तरह से नहीं नकारी जाती है। विघटन दर कई कारकों से प्रभावित हो सकती है, जिसमें एक्सीपिएंट्स की गुणवत्ता, विनिर्माण प्रक्रिया, तापमान नियंत्रण और उत्पादन और भंडारण के दौरान जलवायु की स्थिति शामिल है। विनिर्दिष्ट मात्रा में सही सक्रिय घटक की उपस्थिति दवा की मानक गुणवत्ता निर्धारित करने में प्राथमिक कारक है। यदि दवा की मुख्य सामग्री बरकरार और प्रभावी रहती है, तो इसे घटिया, नकली या अनुपयोगी के रूप में वर्गीकृत करना कानूनी और वैज्ञानिक रूप से अमान्य होगा।

16. अभियोजन पक्ष द्वारा शिकायत दर्ज करने में, दोष की प्रकृति और दवा की प्रभावकारिता पर उसके वास्तविक प्रभाव पर विचार किए बिना, यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया जाना इस तर्क को और पुष्ट करता है कि कार्यवाहियां कानून की आदेशिका का दुरुपयोग है।

17. दवा की शेल्फ लाइफ के अवसान के काफी समय बाद परिवाद दायर किया गया था, जिससे याचिकाकर्ताओं को 1940 के अधिनियम की

धारा 25(3) और 25(4) के अंतर्गत पुनः परीक्षण कराने का बहुमूल्य अधिकार विफल हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***हरियाणा राज्य बनाम बृज लाल मित्तल, (1998) 5 एससीसी 343, और हरियाणा राज्य बनाम यूनिक फार्मेड (प्रा.) लिमिटेड, (1999) 8 एससीसी 190*** में निरंतर यह माना है कि जब दवा के अवसान की तिथि के कारण पुनः परीक्षण का अधिकार अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष अकृत और शुन्य हो जाता है। वर्तमान मामला भी कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि परिवाद दर्ज करने में अनुचित देरी के कारण याचिकाकर्ताओं को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है।

18. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, यह न्यायालय यह पाता है कि संपूर्ण अभियोजन पक्ष अनेक कानूनी कमियों से दूषित है, जिनमें अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन न करना, प्रतिनिधि दायित्व का अभाव, परिसीमा का अवसान और वितरकों एवं विपणक को उपलब्ध वैधानिक संरक्षण शामिल हैं। इसलिए, कार्यवाही जारी रखना कानूनी आदेशिका का घोर दुरुपयोग होगा।

19. तदनुसार, वर्तमान याचिकाएँ अनुज्ञात की जाती हैं।

20. इसके अलावा, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाना केवल इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी पर भी लागू होगा जो समान स्थिति में हैं, लेकिन इस न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं। ऐसे व्यक्तियों से पृथकतः समान अनुतोष के मांग की अपेक्षा करना व्यर्थ होगा, जबकि परिवाद को प्रभावित करने वाली

कानूनी कमियाँ उनके मामले में भी समान हैं। न्यायिक औचित्य की माँग है कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों को अनावश्यक मुकदमेबाजी और प्रक्रियात्मक झंझटों के अधीन नहीं किया जाना चाहिए, जब अभियोजन का आधार ही अमान्य हो।

21. अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य को, जो अनुतोष के लिए न्यायालय का रूख कर रहे है, को प्रतीक्षारत रखकर कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध चुनिंदा कार्यवाही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह के दृष्टिकोण से अनावश्यक उत्पीड़न और लंबी कानूनी कार्यवाहियां अग्रसर होगी, जिससे परिवाद में स्पष्ट अवैधता के बावजूद व्यक्तियों को प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को सहन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। न्यायालय ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं दे सकता जहाँ समान कानूनी दोष का सामना कर रहे व्यक्तियों के पास केवल वर्तमान आदेश के समान आदेश अभिप्राप्त करने के लिए नया मुकदमा शुरू करने, कानूनी सलाहकार नियुक्त करने और केस लिस्टिंग की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प न बचे। न्याय इस प्रकार प्रदान किया जाना चाहिए कि ऐसी टाली जा सकने वाली कठिनाइयों को रोका जा सके और कानूनी सिद्धांतों का एकरूप अनुप्रयोग सुनिश्चित हो।

22. न्याय का सार यह सुनिश्चित करने में निहित है कि व्यक्तियों को अनुचित मुकदमेबाजी के अधीन न किया जाए, जिससे उन्हें अनावश्यक कानूनी लड़ाइयों में उलझने के लिए मजबूर होना पड़े। न्याय व्यवस्था न्याय प्रदान करने के लिए है, न कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए जहाँ वादीगण पर बार-बार प्रक्रियात्मक

बाधाओं का बोझ पड़े। तदनुसार, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद के समक्ष लंबित परिवाद संख्या 158/2017 से उद्भूत सभी कार्यवाहियां पूर्णतः अभिखंडित मानी जाती है, जिससे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आगे कार्यवाही जारी रखने की कोई गुंजाइश नहीं बचती।

23. उपर्युक्त की दृष्टि में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाहियां अभिखंडित मानी जाएगी और मामले को औपचारिक रूप से बंद कर दिया जाएगा। अभिखंडित परिवाद के संबंध में कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा। यह पत्रावली अभिलेख में प्रेषित की जाएगी।

24. स्थगन याचिकाएं और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तदनुसार निपटाए जाते हैं।

(फरजंद अली), जे

100-ममता/-

अस्वीकरण**:** इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है**,** एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी